संख्या- 127 /2025 / 707 /चार-2025-1905296

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 26 मार्च, 2025

विषय:- सार्वजनिक रामलीला स्थलों के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत सार्वजनिक रामलीला स्थलों की चाहरदीवारी का निर्माण व अन्य व्यवस्था कराये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5494/सं0नि0-6(16)/2024-25 दिनांक 25 फरवरी, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार अंकित परियोजनाओं में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि अवांटित कराये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

नवीन परियोजनाएं

क्र0	परियोजना का नाम	आणगन धनराशि (रू0 लाख में)	सेन्टेज चार्ज घटाते हुए अवमुक्त किए जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि (रू0 लाख में)	अभ्युक्ति
1	जनपद पीलीभीत की आदर्श नगर पंचायत पकड़िया नौगवां में ऐतिहासिक राम लीला मैदान के सौदर्यीकरण, गेट आदि का कार्य। (कार्यदायी संस्था-उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०)	171.17	158.09	अप्रेजल कमेटी की बैठक दिनांक 23 दिसम्बर 2024 में अनुमोदित
2	जनपद फिरोजाबाद के ग्राम कोटला, विकास खण्ड नारखी में रामलीला मैदान के सुदृढीकरण / सौन्दर्यीकरण आदि का कार्य। (कार्यदायी संस्था उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०)	162.63	150.02	
3	जनपद फिरोजाबाद में ग्राम नौशहरा, पोस्ट शिकोहाबाद के रामलीला मैदान की चाहरदीवारी, मंच, गेट आदि का निर्माण। (कार्यदायी संस्था-उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०)	115.36	106.42	
4	जनपद मैनपुरी में मैनपुरी रोड, करहल के रामलीला मैदान के सुदृढीकरण का कार्य। (कार्यदायी संस्था-उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०)	143.10	132.01	अप्रेजल कमेटी की बैठक दिनांक 06 फरवरी,
5	जनपद मैनपुरी की नगर पंचायत भोगाँव के रामलीला मैदान की बाउंड्रीवाल आदि का कार्य।	274.53	253.25	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

	(कार्यदायी संस्था-उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०)			2025 में अनुमोदित
	योग		799.79	

चालू परियोजनाएं

क्र0	परियोजना का नाम	स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)	अब तक अवमुक्त धनराशि	5% धनराशि रोकते हुए अवमुक्त किए जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि (रू0 लाख में)
1	जनपद हरदोई के न०पा०प० सण्डीला में रामलीला मैदान में भवन एवं अन्य विकास कार्य (कार्यदायी संस्था-यूनिट-53. कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) हरदोई)	199.04	107.415	82.43
2	जनपद प्रतापगढ़ की नगर पंचायत गढ़वारा स्थित प्राचीन रामलीला मैदान का जीर्णोद्धार कार्य। (कार्यदायी संस्था-यूनिट-10, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन प्रयागराज) सर्विसेज, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)	114.68	55.00	53.68
3	जनपद मैनपुरी की नगर पंचायत कुसमरा के अन्तर्गत रामलीला मैदान की बाउण्ड्रीवाल, गेट आदि विकास कार्य (कार्यदायी संस्था-यूनिट-4 उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०, आगरा)	202.62	105.00	80.76
4	जनपद एटा के अलीगंज स्थित रामलीला मैदान की चाहरदीवारी और सौन्दर्गीकरण का कार्य (कार्यदायी संस्था यूनिट-08, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) एटा)	188.66	55.00	121.97
			चालू परियोजनाएं	338.84
			नवीन परियोजनाएं	799.79
			कुल योग	1138.63

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 04-कला एवं संस्कृति-800- अन्य व्यय-41-सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चाहरदीवारी का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य मद में संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी कुल धनराशि **रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड़ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही निम्नलिखित विवरणानुसार नवीन परियोजनाओं की तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, स्तम्भ-4 में अंकित धनराशि अवमुक्त करने तथा चालू परियोजनाओं की तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) नवीन परियोजनाएं

https://shasanadesh.up.gov.in

क्र0	परियोजना का नाम	आणगन धनराशि (रू0 लाख में)	प्राप्त पुनर्विनियोग के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4
1	जनपद पीलीभीत की आदर्श नगर पंचायत पकड़िया नौगवां में ऐतिहासिक राम लीला मैदान के सौदर्यीकरण, गेट आदि का कार्य। (कार्यदायी संस्था-उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०)	171.17	60.00
2	जनपद फिरोजाबाद के ग्राम कोटला, विकास खण्ड नारखी में रामलीला मैदान के सुदृढीकरण / सौन्दर्यीकरण आदि का कार्य। (कार्यदायी संस्था उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०)	162.63	60.00
3	जनपद फिरोजाबाद में ग्राम नौशहरा, पोस्ट शिकोहाबाद के रामलीला मैदान की चाहरदीवारी, मंच, गेट आदि का निर्माण। (कार्यदायी संस्था-उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०)	115.36	60.00
4	जनपद मैनपुरी में मैनपुरी रोड, करहल के रामलीला मैदान के सुदृढीकरण का कार्य। (कार्यदायी संस्था-उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०)	143.10	60.00
5	जनपद मैनपुरी की नगर पंचायत भोगाँव के रामलीला मैदान की बाउंड्रीवाल आदि का कार्य। (कार्यदायी संस्था-उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०)	274.53	60.00
	योग (1) नवीन परियोजनाएं		300.00

(2) चालू परियोजनाएं

क्र0	परियोजना का नाम	स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)	अब तक अवमुक्त धनराशि	प्राप्त पुनर्विनियोग के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5
1	जनपद हरदोई के न०पा०प० सण्डीला में रामलीला मैदान में भवन एवं अन्य विकास कार्य (कार्यदायी संस्था-यूनिट-53. कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) हरदोई)	199.04	107.415	50.00
2	जनपद प्रतापगढ़ की नगर पंचायत गढ़वारा स्थित प्राचीन रामलीला मैदान का जीर्णोद्धार कार्य। (कार्यदायी संस्था-यूनिट-10, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन प्रयागराज) सर्विसेज, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)	114.68	55.00	50.00
3	जनपद मैनपुरी की नगर पंचायत कुसमरा के अन्तर्गत रामलीला मैदान की बाउण्ड्रीवाल, गेट आदि विकास कार्य (कार्यदायी संस्था-यूनिट-4 उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०, आगरा)	202.62	105.00	50.00

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	जनपद एटा के अलीगंज स्थित रामलीला मैदान की चाहरदीवारी और सौन्दर्गीकरण का कार्य (कार्यदायी संस्था यूनिट-08, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) एटा)	188.66	55.00	50.00
			योग (2) चालू परियोजनाएं	200.00
			योग (1) नवीन परियोजनाएं	300.00
			कुल योग	500.00

3. शर्तें/ प्रतिबन्ध :-

(1) चालू योजनाओं हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(4) जिस मद में पुनर्विर्नियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(5) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(6) संस्कृति निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात् ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।

(8) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(9) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(10) संस्कृति निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(11) प्रश्नगत निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक कराया जायेगा। कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था की होगी तथा संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(12) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण / उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(13) कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जायेगा।

(14) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्कृति निदेशालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(15) संस्कृति निदेशालय द्वारा धनराशि कोषागार से आहरित कर संबंधित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

https://shasanadesh.up.gov.in

(16) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

4. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 04-कला एवं संस्कृति-800- अन्य व्यय-41-सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चाहरदीवारी का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न आय-व्ययक प्रपत्र-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों से वहन किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा दी गयी सहमति एवं तत्क्रम में आवंटित आर.ई. संख्या- बजट-1-629-E-7-328-X-2024-25 दिनांक 19.03.2025 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या - 127 /2025 / 707 (1) /चार-2025-1905296 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- संबंधित जिलाधिकारी।
7- महाप्रबंधक, सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, (यू0पी0पी0सी0एल0), लखनऊ।
9- वित्त (लेखा) अनुभाग-7/ वित्त (ई-7) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20242025-Reapp Culture Ramleela

विषय:- सार्वजनिक रामलीला स्थलों की चाहरदीवारी का निर्माण व अन्य व्यवस्था कार्य कराये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से बजट आवंटित कराये जाने के संबंध में

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202048005400 (अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	11,44,10,000 रुपये ग्यारह करोड़ चौवालीस लाख दस हजार मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	15,00,00,000 रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र	2024-2025
कुल					₹ 11,44,10,000	₹ 5,00,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202048004100 (सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चाहरदीवारी का निर्माण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	11,44,10,000 रुपये ग्यारह करोड़ चौवालीस लाख दस हजार मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	2024-2025
कुल				₹ 11,44,10,000	₹ 5,00,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- उपलब्ध बचत का कारण:- आवश्यकतानुसार व्यय के उपरान्त बचत हो रही है।
2- अनुदान के सापेक्ष अधिक व्यय :- वास्तविक आंकलन के अनुसार अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही है।
3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-629-E-7-328-X-2024-25-दिनांक:19-03-2025

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

कुंवर मकरन्द सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या - 127 /2025 / 707 (1) /चार-2025-1905296 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (ई-7) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।